"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015—आश्विन 17, शक 1937

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

आदेश

क्रमांक एफ 37-27/तीन (एक)-3/पंचा./2015/2876.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सहपठित छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा राज्य के परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	19-10-2015	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(ii) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तारीख.	28	19-10-2015	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से 3.00 अपरान्ह तक.
	(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29क	19-10-2015	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	23	19-10-2015	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	28 (क)	26-10-2015	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	27-10-2015	मंगलवार	प्रात: 10.00 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28 (ग)	29-10-2015	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	29-10-2015	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	29-10-2015	गुरुवार	प्रतीक आबंटन के तुरन्त बाद.
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	08-11-2015	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28(ङ)	08-11-2015	रविवार	मतदान के तुरन्त बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/ खण्ड मुख्यालय पर.		09-11-2015	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे से
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा. (1) पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.	28 (च)	10-11-2015	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से (खंडमुख्यालय में)

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी 30-06-2015 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	कुल पदों का योग (7)
1.	बिलासपुर	0	0	0	5	5
2.	मुंगेली	0	0	4	3	7
3.	जांजगीर-चांपा	0	0	0	8	8
4.	कोरबा	0	0	0	11	11
5.	सूरजपुर	0	0	2	29	31
6.	बलरामपुर	0	1	0	6	7
7.	सरगुजा	0	0	0	17	17
8.	कोरिया	0	0	0	10	10
9.	रायगढ़	0	1	2	17	20
10.	जशपुर	0	0	0	17	17
11.	रायपुर	0	0	2	8	10
12.	बलौदाबाजार	0	0	1	6	7
13.	गरियाबंद	0	0	0	15	15
14.	महासमुन्द	0	0	1	4	5
15.	धमतरी	0	0	0	8	8
16.	बेमेतरा	0	0	0	4	4
17.	दुर्ग	0	0	2	6	8
18.	बालोद	0	0	7	4	11
19.	राजनांदगांव	0	1	2	11	14
20.	कबीरधाम	0	0	0	8	8
21.	बस्तर	0	1	1	1	3
22.	नारायणपुर	0	0	0	2	2
23.	कांकेर	0	0	4	147	151
24.	दन्तेवाड़ा	0	2	2	25	29
25.	सुकमा	0	0	0	49	49
26.	बीजापुर	0	0	5	2	7
	योग :-	0	6	35	423	464

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.